



जागृति

वर्ष 61 अंक 3 मुम्बई फरवरी 2017



खादी की शोभायात्रा आठ वर्ष के बाद राजपथ पर खादी की झांकी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

जाग्रति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
वर्ष 61 अंक 3 मुम्बई फरवरी 2017



सम्पादक मंडल

अध्यक्ष
श्रीमती अंशु सिन्हा

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

अवर उप सम्पादक
अमृता सोम मुखर्जी

अवर हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं
लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्स: 022-26719465

ई-मेल: jagritikvic@gmail.com वेबसाइट: www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से
खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार

3 से 24

परेड के लिए तत्पर.....आठ वर्ष के बाद राजपथ
पर खादी की झांकी.....
वाइब्रेंट गुजरात-2017 में केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा
खादी पवेलियन का दौरा.....
केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा प्रदर्शित खादी के उत्कृष्ट
उत्पादों की सराहना.....
केन्द्रीय एम.एस.एम.ई. राज्यमंत्री द्वारा खादी इण्डिया
आउटलेट की एक नई श्रृंखला 'खादी लाउंज' का उद्घाटन.....
जयपुर शहर में पहले खादी लाउंज का उद्घाटन.....
चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर मोतिहारी में
राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन
मधुमक्खी पालन उद्योग पर एक दिवसीय कार्यशाला.....
आयोग द्वारा मधु क्रांति पर एक दिवसीय कार्यशाला का
आयोजन.....
श्रीमती अंशु सिन्हा, आई.ए.एस. ने मुख्य कार्यकारी
अधिकारी के रूप में पदभार संभाला.....
आयोग को सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा दी गयी
जिम्मेदारियों को निभाने में हमें सकारात्मक.....
त्रि-पक्षीय लाभ: ओ.एन.जी.सी और खादी और ग्रामोद्योग
आयोग के मध्य एक नया समझौता.....
आयोग में 68 वां गणतंत्र दिवस मनाया गया.....
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की पुण्यतिथि पर दिनांक
30 जनवरी, 2017 को आयोग में मुख्यालय.....
आयोग की 641वीं बैठक का कार्यवृत्त.....

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां.....25 से 28



परेड के लिए तत्पर...खादी की शोभायात्रा
आठ वर्ष के बाद राजपथ पर खादी की झांकी



खादी की शोभायात्रा का विहंगम दृश्य
स्वदेशी शक्ति की अनुभूति कराती हुई





वाइब्रेंट गुजरात-2017 में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा खादी पवेलियन का दौरा

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जनवरी 2017 को वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भी इस आर्थिक मेले में "वाइब्रेंट गुजरात 2017" में भाग लिया।



केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने मेले का दौरा किया और माननीय मंत्री ने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री

विजय रुपानी और उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल के साथ खादी पवेलियन (मंडप) का निरीक्षण किया।

इससे पहले, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी पवेलियन (मंडप) का दौरा किया जहां खादी, पॉलीवास्त्र, रेडीमेड वस्त्र, ग्रामोद्योग उत्पाद, विभिन्न संस्थाओं और पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। इस अवसर पर खादी पवेलियन (मंडप) में बारडोली चरखा और 8 स्पिंडल चरखा का प्रदर्शन भी किया गया।



लखनऊ में राज्य स्तरीय खादी ग्रामाद्योग प्रदर्शनी 'खादी महोत्सव' का आयोजन

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा प्रदर्शित खादी के उत्कृष्ट उत्पादों की सराहना

दिनांक 24.01.2017 को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने खादी महोत्सव का दौरा किया तथा प्रदर्शनी में प्रदर्शित खादी के उत्कृष्ट उत्पादों की प्रशंसा की। 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी ग्रामाद्योग प्रदर्शनी 'खादी महोत्सव' का आयोजन दिनांक 14.01.2017 से 28.01.2017 तक लखनऊ के निशातगंज स्थित राजकीय इंटर कालेज मैदान में किया गया।

प्रदर्शनी में प्रदेश एवं विभिन्न प्रान्तों की खादी एवं ग्रामोद्योगी संस्थाओं ने अपने उत्कृष्ट उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन किया। खादी महोत्सव में 29 खादी तथा 49 ग्रामोद्योगी संस्थाओं ने क्रमशः 64 व 49 स्टालों पर अपने अपने खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आकर लोगों ने खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों को खरीदा एवं अवलोकन किया। प्रदर्शनी में करीब 1,76,67,129.00 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई। इससे पहले, खादी प्रदर्शनी का उदघाटन स्वराज आश्रम कानपुर के संचालक व गांधीवादी वृज भूषण पाण्डेय तथा रजिस्ट्रार, सहकारी



सोसायटी (यूपी) श्री आई. पी. पांडे ने किया।

प्रदर्शनी में प्रदर्शित खादी के निर्मित परिधान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, जो उन्हें खासा आकर्षित कर रहे थे। स्टालों पर खादी एवं ऊनी परिधान जैसे कोट, पैट, शर्ट, पैजामा, कुर्ता, लेडीज गारमेंट, कम्बल, रजाई, चादर, हस्त निर्मित रेशम की साड़ियां, रेशम के लेडीज सूट के अलावा आयुर्वेद-हर्बल उत्पाद, सौन्दर्य सामग्री, शहद, आचार, मुरब्बा एवं आंवला के उत्पाद मौजूद थे।



केन्द्रीय एम.एस.एम.ई. राज्यमंत्री द्वारा खादी इण्डिया आउटलेट की एक नई श्रृंखला

— 'खादी लाउंज' का उद्घाटन



माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने आह्वान में यह कहा था कि, आज़ादी से पहले का नारा था "खादी राष्ट्र के लिए, परन्तु अब यह होना चाहिए खादी फैशन के लिए"। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अत्याधुनिक और उच्च श्रेणी के विक्री केंद्र "खादी लाउंज" की स्थापना कर रहा है जिसमें प्रमुख महानगरों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए डिज़ाइनर परिधानों और विशिष्ट खादी वस्त्रों की श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। इन आउटलेट्स के क्रम में पहला आउटलेट 'खादी लाउंज' पूर्ण रूप से सुसज्जित



हैं जो कि प्रख्यात फैशन डिजाइनर रितु बेरी, द्वारा डिजाइन किये गए हैं।

यह स्टोर फैशन के प्रति जागरूक मुंबईकरों और आधुनिक युवाओं के मध्य खादी के हाथ कते आधुनिक वस्त्र, परिधान को विशेष स्थान प्रदान करेगा। इसी प्रकार के उच्च स्तरीय स्टोर दिल्ली और जयपुर में भी स्थापित किए गए हैं और जिनका उद्घाटन इसी माह में किया जायेगा। खादी आउटलेट की लाउंज श्रृंखला को स्थापित करने का उद्देश्य देश के सर्वोत्तम हाथ कते वस्त्र तथा उत्पादों को आधुनिक आउटलेट में प्रदर्शित करना है।



कर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के परिसर, विले पार्ले, मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। इन डिजाइनर वस्त्रों में अत्याधुनिक परिधान एवं तैयार वस्त्र शामिल

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री, श्री हरिभाई चौधरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय, मुंबई के अपने प्रथम दौरे पर आयोग के कर्मियों को कहा कि आपके द्वारा



खरीदा गया खादी का मात्र एक वस्त्र एक कारीगर के लिए रोज़गार सृजित करेगा । उन्होंने कहा कि, वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कुल 94 प्रतिशत रोज़गार के अवसर सृजित कर रहा है वहीं 4 प्रतिशत रोज़गार सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, सकल घरेलु उत्पाद के विकास में कुल 65 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का है। समय के साथ तालमेल करते हुए खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की सभी सूचनाओं और विक्रय को डिजिटल रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि उद्यमियों के दोष शून्य व प्रभाव शून्य आंदोलन को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम ने भी लागू किया है। जेड ई डी (दोष शून्य व प्रभाव शून्य) प्रमाण पत्र मानक के लिए हमने 50 मानदंड

निर्धारित किये हैं। उन्होंने कहा कि, बैंकों को प्रत्येक ब्रांच से एक एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व महिला उद्यमी सृजित करने हेतु निर्देशित किया है। गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए बेहतर प्रतियोगिता का निर्माण एमएसएमई का एक और मुख्य एजेंडा है, इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में पांच पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 2017 की डायरी और कैलेंडर का विमोचन किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस पहल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'खादी लाउंज दिल्ली, मुंबई और जयपुर में खोले जायेंगे जिसमें प्रीमियम गुणवत्ता वाले सुन्दर, स्टाइलिश खादी सिल्क और आधुनिक डिजाइन किये हुए रेडीमेड वस्त्र रखे जायेंगे जो खादी प्रेमियों को सुखद संतोष प्रदान करेगा। इसके साथ ही खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'मेक इन इण्डिया' की पहल और प्रधान मंत्री के खादी के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इससे रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे जोकि ग्रामीण भारत में कारीगरों और विशेष रूप से महिलाओं के गुणवत्तापूर्ण





आयोग के 2017 के डायरी और कैलेंडर का विमोचन

उत्पादों की बिक्री कर उन्हें सशक्त बनायेंगे। श्री सक्सेना ने इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की खरीदी हेतु कैशलेस भुगतान प्रणाली जैसे- पे टीएम के

शुरू करने की जानकारी दी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री उषा ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह पहल हमारे प्रधानमंत्री के खादी को एक फैशन परिधान बनाने के मिशन को पूर्ण करने के लिए की है।

यह लाउंज फैशनपरस्त लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करेगा और खादी की बिक्री में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करेगा तथा कारीगरों को सशक्त बना कर उनकी आजीविका को समृद्ध करेगा।



आयोग मुख्यालय, मुंबई में दिनांक 10 जनवरी, 2017 को बैंकरों के साथ पीएमईजीपी योजना के प्रगति की समीक्षा करते हुए आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती उषा सुरेश तथा संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य पाल ।



जयपुर शहर में पहले 'खादी लाउंज' का उदघाटन



खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 17 जनवरी, 2017 को जयपुर के झालना, डुंगरी में स्थित राज्य कार्यालय में खादी लाउंज का उद्घाटन किया। इस बिक्री केंद्र में खादी के विभिन्न सामग्रियां जैसे खादी सिल्क की साड़िया, पश्मीना के आकर्षक वस्तुएं इत्यादि प्रदर्शित की जाएंगी। इसी श्रृंखला के क्रम में मुंबई में प्रथम खादी लाउंज की शुरुआत की गई है।

अध्यक्ष महोदय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि “इस आउटलेट में बेहतर कर्मचारियों को तैनात करने के साथ इसे आधुनिक बनाने का हमारा प्रयास रहा है। हमने सम्पूर्ण भारत में विगत एक वर्ष में 178 बिक्री केन्द्रों को पुनर्निर्मित किया है। इस प्रकार के बिक्री केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य है बिक्री केंद्र में खरीदी हेतु आने वाले सभी ग्राहकों को अच्छा महसूस कराना। उन्हें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि खादी राष्ट्रीय और परंपरागत वस्त्र है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा इस हस्तनिर्मित वस्त्र के बारे में समझे तथा धीरे-धीरे इसे स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय ने आगे यह भी जानकारी प्रदान दी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत सरकार से मनरेगा योजना में खादी उत्पादन को भी शामिल करने का अनुरोध किया है। आयोग केवल नियमित योजना के अंतर्गत



केवल 30 दिन का ही रोजगार नहीं देता हैं बल्कि 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है तथा श्रमिकों को दक्ष भी बनाता हैं और इससे कारीगरों के आय में भी वृद्धि होती है।

अध्यक्ष महोदय ने आगे “पारंपरिक चरखा” के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि नई दिल्ली में शीघ्र ही संग्रहालय में “पारंपरिक चरखा” स्थापित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी जानकारी प्रदान की कि जिसके के पास अपना चरखा है वे अपने चरखे को खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दानस्वरूप में दे सकते हैं। इस चरखे को संग्रहालय में उनके नाम के साथ प्रदर्शित किया जायेगा। अभी तक हमने 55 वर्ष से 104 वर्ष पुराने १९ चरखे प्राप्त किये हैं। हमने पालिका बाजार में लगभग 8 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर लम्बा स्टील चरखा भी स्थापित किया है। यह चरखा बारीश और धूप से खराब नहीं होगा।



चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर मोतिहारी में खादी प्रदर्शनी का आयोजन



राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के सपनों को पूरा करने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग सतत् प्रयत्नशील है। इसी क्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं पूर्वी चंपारण जिला खादी और ग्रामोद्योग संघ, मोतिहारी के तत्वावधान में सत्याग्रह चंपारण शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिनांक 30.01.2017 से 13.02.2017 तक नगर भवन, मोतीहारी में राज्य स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंहके कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने की। इस अवसर पर पूर्वी क्षेत्र की माननीय सदस्या श्रीमती संगीता कुमारी के अलावा बिहार सरकार के कई विधायक, एमएलसी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

माननीय मंत्री जी ने अपने संबोधन भाषण में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह संबंधी संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि गांधीवादी विचारधारा से ही देश की गरीबी दूर हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित गतिविधियों के माध्यम से ही लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मोतिहारी में रोजगार से जोड़ने के लिए 200



चरखे एवं 20 करघे दिये जाएंगे। इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 2016-17 हेतु रु. 1.19 करोड़ की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधीजी ने जिन गांवों का दौरा किया था, उन गांवों के 350 कामगारों को सोलर चरखा के प्रशिक्षण हेतु चयन कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।



उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य में आयोग के माध्यम से पीएमईजीपी के अंतर्गत 2430 इकाईयों की स्थापना कर 19624 लोगो को रोजगार प्रदान किया गया है, जबकि वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक 1677 इकाईयों के माध्यम से 10376 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

उन्होंने बताया कि चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मोतिहारी नगर के प्रवेश द्वार पर गांधीजी के चरखे की स्थापना की जाएगी, जिसे चरखा चौक के नाम से जाना जाएगा, जो चंपारण सत्याग्रह के गौरव का प्रतीक होगा।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान अप्रैल, 2017 के अंतिम सप्ताह में गांधी मैदान, मोतिहारी में विशाल खादी महाकुंभ आयोजित करने हेतु ईच्छा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि गांधी के इस पुण्यधाम चंपारण को उनके ही सपनों से संजोया जाएगा। उन्होंने सभी खादी संस्थाओं, व्यक्तिगत एवं संभावित उद्यमियों को खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियों से अधिक से अधिक जुड़ कर इस क्षेत्र के विकास में अपना मूल्यवान योगदान देने हेतु आह्वान किया।

इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि बिहार की बंद पड़ी सभी संस्थाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा एवं सत्याग्रह के दौरान गांधीजी ने जिन गांवों का दौरा किया था, उन गांवों के लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु चरखा, करघा एवं सिलाई इत्यादि कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए आयोग के माध्यम से रुपये 1.00 करोड़ राशि का आवंटन किया जाएगा।

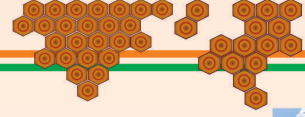
इस अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने चंपारण सत्याग्रह एवं गांधीजी के पावन उद्देश्य पर अपना विचार रखते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को उनके सपनों को पूरा करने का एकमात्र माध्यम माना।

इस महोत्सव/प्रदर्शनी में बिहार एवं दूसरे राज्यों की खादी एवं ग्रामोद्योगी संस्थाएं उनके उत्पादित सूती, रेशमी, ऊनी तथा पोली वस्त्रों जैसे-शर्ट, पैट, कुर्ता-पैजामा, बंडी, सूती एवं रेशमी साड़ियाँ, चादर, कंबल, सलवार-सूट, अंडी चादर, बेंत-बांस से निर्मित कई घरेलू एवं सजावटी वस्तुएं, चंदन फेस पाउडर एवं चंदन की बनी कई सामग्री, आयुर्वेदिक दवा, सीप से बनी दैनिक एवं सजावटी वस्तुओं, शुद्ध मधु, तेल, पापड़, आचार, सुगंधित अगरबत्ती, फेस पाउडर, साबुन इत्यादि के स्टॉलों के साथ भाग ले रही है। प्रदर्शनी परिसर में कालीन, दरी, डोर मैट्स इत्यादि की बिक्री हेतु अपार भीड़ देखी गयी।



प्रदर्शनी में चरखा से संबंधी जानकारी जीवन्त तकनीकी प्रदर्शनी के माध्यम दी गयी, जिससे आज के युवा वर्ग चरखा से संबंधित जानकारी उत्सुकता पूर्वक प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के पूर्ण यात्रा चक्र को तस्वीर के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके लिए अलग से गांधी दर्शन हेतु गांधी पवेलियन का निर्माण किया गया है।

इस अवसर पर राज्य निदेशक श्री एस.के.गुप्ता ने माननीय मंत्री जी के साथ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को गांधी का प्रतिक चिन्ह “चरखा” एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। सभा का संचालन श्री डी.के.राय, सहायक निदेशक ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन आयोग के उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस.एन.शुक्ला ने दिया।



आयोग द्वारा मधु क्रांति (मधुमक्खी पालन) पर



एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में डिसा में मधु क्रांति के संदर्भ में की गयी चर्चा के बारे में २४ जनवरी २०१७ को मधुमक्खी पालन उद्योग पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री श्री हरिभाई पी. चौधरी करकमलों से संपन्न हुई। उद्घाटन समारोह में श्री विनय कुमार सक्सेना, माननीय अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री अशोक पटेल, माननीय उप कुलपति, सरदार कृषि विश्वविद्यालय, दांतीवाडा, श्री शंकरभाई चौधरी, माननीय राज्यमंत्री, आरोग्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण एवं शहरी विकास मंत्री, गुजरात सरकार तथा प्रमुख बनासडेरी एवं श्री बिपिन पटेल, प्रबंध निदेशक, बनास डेरी, पालनपुर उपस्थित थे।



कार्यशाला का आयोजन सरदार कृषि विश्वविद्यालय, दांतीवाडा में आयोजित किया गया, जिसमें बनासकाँठा एवं पाटन जिला के करीब 600 किसानों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पुणे से पधारे तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मधुमक्खी पालन उद्योग के संबंध में जानकारी दी गयी।

स्थानीय सांसद एवं एमएसएमई राज्यमंत्री श्री हरिभाई पी चौधरी ने उपस्थित सभी किसानों को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्य हमारे जिले से प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने अधिक से अधिक बजट लाने का आश्वासन दिया। इस अवसर करीब 78 प्रमाणपत्र एवं 10 किट का भी वितरण किया गया।



आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने मधुमक्खी कार्यक्रम के लिए आयोग की ओर से माननीय प्रधानमंत्री के मधु क्रांति विजन की शुरुआत पाटन-बनासकाँठा जिले से प्रारंभ होने पर बधाई दी एवं उन्होंने, आयोग से सभी तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग देने का अश्वासन दिया।

स्थानीय विधायक तथा गुजरात सरकार के आरोग्य, परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं शहरी विकास मंत्री श्री शंकरभाई चौधरी ने भारत के प्रधानमंत्री के मधु क्रांति आह्वान को पाटन-बनासकाँठा जिले में अवसर के रूप में लेने को आह्वान किया।

यह कार्यक्रम बनास डेरी, पालनपुर तथा कृषि विश्वविद्यालय, दांतीवाडा के सहयोग से आयोजित किया गया।



श्रीमती अन्शु सिन्हा, आई.ए.एस. ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला



श्रीमती अन्शु सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम.एच:99) ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग में 1 फरवरी, 2017 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने नई दिल्ली में स्थित खादी इंडिया में खादी वस्त्रों का अवलोकन किया और ग्रामोद्योगों के अन्य उत्पादों का भी अवलोकन किया। सुश्री सिन्हा ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

आयोग के राज्य/मण्डलीय निदेशकों का सम्मेलन संपन्न

आयोग को सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा दी गयी जिम्मेदारियों को निभाने में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से खरा उतरना होगा

-विनय कुमार सक्सेना



मुंबई, 19 जनवरी, 2017: सकारात्मक सोच के साथ सरकार द्वारा दी गयी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा- यह बात आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने मुंबई के सुख होटल में आयोजित आयोग के राज्य/मण्डलीय निदेशकों का सम्मेलन में संबोधित करते हुए कही।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास भारत सरकार द्वारा दी गयी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अहमियत की पहचान की है, उसे पूरा करने की भी आज हम पर चुनौती है और हमें इस पर खरा उतरना है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले हमें नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनानी होगी और कहना होगा- 'आय केन डू इट'।

उन्होंने कहा कि आयोग के पास एक बड़ा कार्यदल(फोर्स) है, जिससे हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों को एक सैनिक की तरह संकल्प लेने की जरूरत है, ताकि वे अपने लक्ष्य पूरा कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि आयोग में वह क्षमता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, वहां भी रोजगार दे सकता है बस हमें अपने दायित्वों को समझना होगा। उन्होंने कहा, आयोग एक ऐसा संगठन है जो 13,500 रुपये के चरखे एवं 3500 रुपये के कस्बे पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम निवेश से आज भी लोगों को रोजगार दे सकता है और दुनिया में ऐसा कोई भी संगठन यह कार्य नहीं कर

सकता है। आज समय है हमें अपने सोच, प्रतिभा और दायित्वों पहचानने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि आयोग को एक नयी पहचान दिलाने में सहयोग तथा सी.एस.आर. कार्यक्रम की अहम भूमिका होगी। अगर आयोग पूरी तरह से इस कार्यक्रम से जुड़ेगा तो पूरे खादी क्षेत्र में एक नयी क्रांति आयेगी। इस बदलाव के साथ हमें कार्य करने की जरूरत है।

उन्होंने सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों से कहा कि यह सम्मेलन अपनी बाधाओं को दूर करके नये लक्ष्यों को लेकर जाने के लिए आयोजित किया गया है।



आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश ने सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने प्रति बहुत आशावादी है, क्योंकि यह इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही है। उन्होंने कहा, जो भी मंत्रालय से बजट मिला है उसे इसी वित्तीय वर्ष में खर्च किया जाना है क्योंकि जीएसटी एवं पीएफएमएस स्कीम लागू होने के बाद क्या पैरामीटर्स या मापदण्ड होंगे, यह उस पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए





संस्थाओं को गोयरअप करने की जरूरत है, ताकि हम वर्ष 2017-18 के अपने लक्ष्य से पीछे न रह जाय। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल, 2017 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। जीएसटी लागू होने से कुछ दिक्कतें आयेगी उनका हमें सही ढंग से हल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी सभी योजनाओं को आनलाईन करना होगा। उन्होंने कहा कि पूरे आयोग में एक इंटीग्रेटेड फायनेंसिंग सिस्टम तैयार करने की जरूरत है, जिससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लागू की जा सके।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि एमएमडीए योजना का शुभारंभ इसी तिमाही में किया जा रहा है। पिछले वर्ष पीएमईजीपी का लक्ष्य 500 करोड़ था, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जायेगा। के.आर.डी.पी. योजना के तहत 180 खादी संस्थाओं को लाभ मिला है, जबकि हमारा लक्ष्य 400 संस्थाओं का था। उन्होंने कहा कि योजना में और खादी संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिन संस्थाओं के पास 50 से ज्यादा कारीगर हैं उनको भी इस योजना के तहत शामिल किया जायेगा। योजना में 600 संस्थाओं को शामिल करने का हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष अबतक 1800 करोड़ रुपये के खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई है। आयोग ने विपणन क्षेत्र में कई नये प्रयास किये हैं, जिसमें ई-कॉमर्स, ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सभी बिक्री केन्द्रों को जोड़ने के प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि कैशलेस स्कीम के कारण आयोग के विपणन के कार्यों में पारदर्शिता आयी है और बिक्री भी बड़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि



आनलाईन खादी प्रमाणपत्र पंजीकरण के तहत अभी तक 40 नयी संस्थाएं जुड़ी हैं।

आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. एस. राव ने आयोग के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं विपणन क्षेत्र के राज्य स्तर पर दिये गये लक्ष्यों एवं प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों से वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में अपने लक्ष्यों को अतिशीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी से कहा कि पीएमईजीपी के तहत केवल आवेदन अग्रसरित करने से टारगेट पूरे नहीं होंगे, बल्कि ईडीपी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ही मार्जिन मनी का संवितरण होने से ही टारगेट को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ उत्तर-पूर्व क्षेत्र के मामलों में यह मापदंड निश्चित किया गया है कि ईडीपी कार्यक्रम संपन्न होने की सीमा उन क्षेत्रों में लागू नहीं होती है।



श्री वाय.के. बारामतिकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रशासन ने इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त करते हुए कहा कि आयोग का यह कार्यदल(फोर्स), हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सैनिक की तरह संकल्प लेगा और हम सभी अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

सम्मेलन के पहले दिन, सभी राज्यों में कार्यान्वित किये जा रहे खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति एवं लक्ष्यों की समीक्षा की गयी। इस अवसर पर सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों ने अपने-अपने राज्यों में हुई योजनाओं की प्रगति की क्रमवार रूपरेखा प्रस्तुत की तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली दिक्कतों को सुझाव सहित हल करने का प्रयास किया।

आयोग के राज्य/मण्डलीय निदेशकों का सम्मेलन के दूसरे दिन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय के संयुक्त संचिव श्री बी.एच. अनिल कुमार ने आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश की उपस्थिति में पहले दिन में राज्यवार योजनाओं की प्रगति एवं लक्ष्यों की हुई समीक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी। इस अवसर पर संयुक्त संचिव श्री बी.एच. अनिल कुमार ने आयोग के सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों को उचित सुझाव देते हुए निर्धारित दिशानिर्देशों तथा मापदंडों के तहत सीमाबद्ध रूप से लक्ष्यों को पूरा करने का शक्त निदेश दिया।

त्रि-पक्षीय लाभ: ओ.एन.जी.सी और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मध्य एक नया समझौता



में वृद्धि होगी। इस प्रकार के खादी वाउचरों का ओ.एन.जी. सी. कर्मचारियों द्वारा दो माह के अवधि के अन्दर ही उपयोग में लाया जाना है।

ओ.एन.जी.सी. में 34,236 नियमित कर्मचारी और 1063 अनियमित कर्मचारी हैं कुल 35299 कर्मचारी कार्यरत हैं। परिणामस्वरूप इस पहल से खादी और ग्रामोद्योग आयोग ओ.एन.जी.सी से 35 करोड़ रु. प्राप्त करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 35% अतिरिक्त अनुपूरक देने पर विचार करते हुए दो माह की अवधि में आयोग के लगभग 47 करोड़ रु. के उत्पादों की बिक्री होगी है जिसमें 22% की दर से अर्थात् 10 करोड़ रु. मजदूरी होगी। अध्यक्ष ने आगे बताया कि इस अवसर पर कारीगरों को विशेष बिक्री अभियान में शामिल किया जायेगा इसके लिए उन्हें 5% पुरुष्कार दिया जायेगा इसे डी.बी.टी. के माध्यम से उनके अकाउंट में जमा किया जायेगा।

आयोग, ओ एन जी सी के परिसर में 16 प्रदर्शनियों के माध्यम से बेहतर गुणवातायुक्त खादी

ओ.एन.जी.सी. सामान्यतः अपने कर्मचारियों को देश सेवा व कठिन श्रम के बोनस के रूप में नकद राशि का संवितरण करता है। इस वर्ष ओ.एन.जी.सी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मध्य एक ऐसा समझौता किया कि जिसके अंतर्गत कर्मचारी बोनस में अतिरिक्त लाभ होगा। इस प्रकार की कार्यप्रणाली अपनेआप में एक व्यापक सार्वजनिक हित में योगदान देता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपनी बातचीत में जानकारी दी कि ओ.एन.जी.सी. द्वारा निर्णय लिया है कि वह अपने कर्मचारियों को नकद राशि से तीन गुना से अधिक मूल्य के पुरस्कार प्रदान करेगा। इस योजना के अंतर्गत, ओ.एन.जी.सी. अपने प्रत्येक नियमित कर्मचारियों को 10,000/- रु. का वाउचर देगा और गैर-नियमित कर्मचारियों को 5000/- रु. का वाउचर प्रदान करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन वाउचरों के समक्ष अपने उत्पादों पर 35% अतिरिक्त डिस्काउंट देगा। इस प्रकार उनके कर्मचारियों के नकद मूल्य के 135% बोनस





उत्पाद प्रदान करेगा। ताकि ओ.एन.जी.सी. के कर्मचारी अपने कार्यालय में ही प्राप्त कर सकेंगे। आयोग ने निर्णय लिया कि स्थानीय संस्थाएँ और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की इकाईयाँ अपने सुसंगत क्षेत्रों में आयोजित प्रदर्शनियों में अपने विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे, ऐसा करने से इसका लाभ स्थानीय कारीगरों को होगा। इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास होगा कि 70-80% बिक्री रेडीमेड उत्पादों की हो। इसमें विशेष रूप से महिला कर्मचारियों तथा बच्चों पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

इस प्रकार पहली प्रदर्शनी 16 जनवरी, 2017 से 14 फरवरी 2017 तक गुजरात के महसना जिले में आयोजित की गई थी और इसी क्रम में अन्य स्थानों जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, हाजिरा और काम्बे बेसिन क्षेत्र में प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएंगीं, जहाँ ओ.एन.जी.सी. कार्यालय स्थित हैं एवं ओ.एन.जी.सी. के सर्वाधिक 11081 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में ओ.एन.जी.सी. के 6783 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके लिए राज्य में 16 जनवरी से 28 जनवरी 2017



तक विभिन्न प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएगी इसी तरह खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, त्रिपुरा, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, झारखण्ड एवं गोवा आदि राज्यों में सूचीबद्ध तरीके से प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएगी। इन स्थानों के लिए अलग अलग दल गठित किये गए हैं।

त्रि-पक्षीय लाभ के आलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बिक्री, ओ.एन.जी.सी. के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मूल्य अनुरूप उत्पाद तथा सद्भाव के



रूप में यह समझौता एक विशिष्ट मोडल के रूप में सिद्ध होगा जो कि ग्रामीण कारीगर समुदाय के स्थाई विकास में सहायक होगा। अधिकतम उत्पादकता के अतिरिक्त ग्रामीण समुदाय अधिकतम मात्रा में अर्जन करेगा तथा इससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस विशिष्ट साझेदारी से अपने खादी कारीगरों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा तथा अतिरिक्त 6.50 लाख मानव श्रम दिन का भी सृजन करेगा।

व्यापार और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में बहु स्तर पर स्थाई विकास के इस अनुपम प्रयोग का स्वागत किया गया है तथा इस योजना को उत्पादक और उपभोगता के लिए सामाजिक-आर्थिक मोडल के रूप में प्रसारित किया गया है। श्री सक्सेना ने बताया कि इस योजना का प्रतीक-माननीय प्रधानमंत्रीजी का सिद्धांत - 'सबका साथ, सबका विकास' है, जिसे वह अक्सर दोहराया करते हैं।

आयोग में 68 वां गणतंत्र दिवस मनाया गया



खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय मुंबई में आज देश के 68 वे गणतंत्र दिवस को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री समीर कुमार ने इस अवसर पर कार्यालय परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र गान के पश्चात अपने उद्बोधन में उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें देते हुए कहा कि, हमने 68 वर्षों में आर्थिक विकास किया है और इस गति को बनाए रखते हुए राष्ट्र विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि, गाँधी जी ग्रामीण औद्योगीकरण का सपना देखा करते थे जो आर्थिक औद्योगीकरण से भिन्न है और महात्मा गाँधी जी के सपने को साकार रूप देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपनी पूरी निष्ठा से आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए



आयोग द्वारा चलाई जा रही योजनायें व कार्यक्रम अनुकूल वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, इसकी चर्चा माननीय प्रधान मंत्री जी ने कई बार अपने रेडियो उद्बोधन “मन की बात” में की है। उन्होंने कहा कि, हमारा पूरा प्रयास बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना है।

इस अवसर पर आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों ने देश भक्ति से ओत प्रोत संस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।



आयोग के खादी इंडिया आउटलेट, नई दिल्ली में फ्रांस से आये आगंतुक राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करते हुए.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की पुण्यतिथि पर दिनांक 30 जनवरी, 2017 को आयोग में मुख्यालय, मुंबई में आयोग के कर्मचारियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की



राज्य कार्यालय, अंबाला के निदेशक श्री वी. के. नागर को उनके उद्योग प्रगति में लिखित रूप में योगदान के लिए **चाणक्य वार्ता सम्मान-2016** से नवाजा जा रहा है। हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी के कर कमलों से श्री नागर जी को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।



आयोग की 641वीं बैठक का कार्यवृत्त

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दिनांक 25 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में सम्पन्न बैठक की अध्यक्षता श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई। उपरोक्त बैठक में आयोग के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: श्री जय प्रकाश तोमर, आंचलिक सदस्य (मध्य अंचल), श्री जी. चन्द्रमौलि, आंचलिक सदस्य (दक्षिण अंचल), डॉ संगीता कुमारी, आंचलिक सदस्य (पूर्व अंचल), श्री नारायण सी. बोरकाटकी, आंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल), श्री अशोक भगत, विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान एवं विकास), श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता, विशेषज्ञ सदस्य (विपणन), सुश्री सुमन लता गुप्ता, उप महा प्रबंधक, लघु एवं मध्यम उद्यम, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, श्री बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), श्री दी.पी.एस. नेगी, आर्थिक सलाहकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), श्रीमती ऊषा सुरेश, वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री मोहित जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं आयोग के सभी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

१) राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन मिशन (हनी मिशन) पर पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्ययोजना तथा इसे मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने के संबंध में वन आधारित उद्योग निदेशालय का प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन विकास हनी-बी मिशन की कार्ययोजना को रु.859.17 करोड़ की वित्तीय संरचना के साथ सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया, और निर्देशित किया कि आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

क) आयोग ने राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन विकास हनी-बी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तावित कार्य-योजना के लिए रु.164.18 करोड़ की वित्तीय संरचना को भी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया।

ख) आयोग ने वित्तीय सलाहकार (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) के अवलोकनों पर सहमति जताई कि इस मिशन का विस्तार अधिक से अधिक देश के हिमालयी तराई क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होना चाहिए। आयोग ने भी निर्णय लिया कि कार्य-योजना को कार्यान्वित किए जाने के दौरान पुराने मधुमक्खी विस्तार केन्द्रों को पृथक किया जाएगा और नई मधुमक्खी पालन विस्तार केन्द्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

ग) आयोग ने यह भी सलाह दी कि कार्य-योजना को संशोधित करते हुए इसे 2 वर्ष की अवधि के लिए

1 करोड़ मधुमक्खी पालकों को इस परियोजना से जोड़ने के लक्ष्य के साथ तैयार किया जाना चाहिए।

घ) आयोग ने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री के 'श्वेत क्रांति' कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के बनासकांठा जिले को 'आदर्श मधुमक्खीपालन जिले' के तौर पर विकसित किया जाए।

2) खादी मार्क पंजीयन तथा नए खादी प्रमाणपत्रों के लिए प्रभारित किए जाने वाले प्रमाणन शुल्क में विसंगति की व्याख्या के संबंध में आयोग ने खादी प्रमाणपत्र निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और व्यक्तिगत, पीएमईजीपी उद्यमियों तथा अन्य पात्र उद्यमों की श्रेणी के लिए खादी मार्क पंजीयन शुल्क को रु.25,000/- से बढ़ाकर रु.50,000/- करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जो लिमिटेड, निजी अथवा साझेदारी कंपनियों अथवा खादी संस्थाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) के अवलोकनों को नोट किया कि जब आयोग अस्तित्व में है तो खादी प्रमाणपत्रों को जारी/हस्ताक्षर करने का अधिकार संबंधित अंचलों के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बजाय संबंधित आंचलिक समिति के अध्यक्ष के पास होने चाहिए। वर्तमान में प्रमाणपत्रों को संबंधित अंचलों के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी/हस्ताक्षर किया जा रहा है।

यह अवगत कराया गया कि एडीबी से सहायता प्राप्त केआरडीपी शर्तों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि खादी संस्थाओं का प्रमाणन संबंधी कार्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन निदेशालयों को सौंपा जाए।

इसलिए, आयोग ने निर्देशित किया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खादी प्रमाणपत्र जारी/हस्ताक्षर करने हेतु उचित प्राधिकार के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसे आयोग की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

३) तीन दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को केन्द्रीय पूनी संयंत्र, हाजीपुर की सेवाओं में नियमित नहीं करने के संबंध में खादी कच्चा माल निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसमें तीन दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को केन्द्रीय पूनी संयंत्र, हाजीपुर की सेवाओं में नियमित नहीं करने के संबंध में उल्लेख किया गया था, और दिनांक 14.12.2016 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए सकारण-आदेश के माध्यम से तीन दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को केन्द्रीय पूनी संयंत्र, हाजीपुर की सेवाओं में नियमित नहीं करने का अनुसमर्थन किया।

४) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल-अधिकार विलेखों की वापसी की मांग के संबंध में खादी आश्रम, पानीपत द्वारा दायर किए गए कोर्ट केस के बारे में विधि मामले निदेशालय का प्रस्ताव आगे उल्लेखित है। आयोग ने मामले पर विचार किया और इस पर अभी तक की गई/प्रारंभ की गई कार्रवाई का अनुमोदन किया। आगे, आयोग ने निर्णय लिया कि उक्त संस्था की दान अथवा खरीद के माध्यम से प्राप्त की गई ऐसी सभी संपत्तियों का ब्यौरा संकलित कर प्रस्तुत करें, जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास गिरवी रखा गया था। उपरोक्त विवरणों को अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि सभी राज्य/मंडलीय निदेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खादी संस्थाओं द्वारा संपत्तियों को गिरवी रखे जाने संबंधी सभी विवरणों को कार्यालय के राजस्व प्रलेखों की पंजिका में विधिवत प्रविष्ट किया गया है, ताकि खादी संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा संपत्ति को अनियमित/अनधिकृत तौर पर बेचे जाने को रोका जा सके। इस कार्य को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

५) खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी सीसीए विनियम, 2003 की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन, जिसमें अधिसूचित भर्ती नियम-2016 के अनुसार विभिन्न पदनामों में परितर्वर्तन करने के संबंध में विधि मामले निदेशालय का प्रस्ताव इस प्रकार है: आयोग ने नोट पर विचार किया और खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी सीसीए विनियम, 2003 की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन, जिसमें अधिसूचित भर्ती नियम-2016 के अनुसार विभिन्न पदनामों में किए गए परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के संबंध में विधि मामले निदेशालय का प्रस्ताव का अनुमोदन किया। आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत किया कि मंत्रालय को इस संबंध में मसौदा अधिसूचना अनुमोदन एवं राजपत्र में प्रकाशन हेतु अग्रेषित करे।

६) प्रतिनियुक्ति के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों में निदेशकों के ०५ पद को भरने के संबंध में प्रशासन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की एवं निदेशकों के ०५ पदों क्रमशः विपणन, मीडिया और प्रचार, विधि, टेक्सटाइल एवं प्रशासन और मानव संसाधन क्षेत्र में पे-बैंड 3, वेतनमान रु.15,600-39,100 तथा ग्रेड-पे रु.7,600/- में तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए उम्मीदवारों की निर्धारित अर्हता और पात्रता के अनुसार आवेदकों की योग्यता/उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित जांच समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया। जांच समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:

जांच समिति:

- | | |
|---|--------------|
| १.संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी : अध्यक्ष | |
| २.निदेशक(विधि) | :सदस्य |
| ३.निदेशक(वित्त) | :सदस्य |
| ४.निदेशक (लेखा) | :सदस्य |
| ५.निदेशक (सूलमउम) | :सदस्य |
| ६.उप.मु.का.अ (प्रशा एवं मा. संसाधन): | सदस्य संयोजक |

१. तत्पश्चात, आयोग ने निदेशकों के 05 पदों को भरने हेतु व्यक्तिशः साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों में से योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए निम्नलिखित जांच समिति के मापदण्डों को अनुमोदन दिया। चयन समिति के

सदस्य निम्नानुसार होंगे:

चयन समिति:

१. अध्यक्ष, खाग्राआ : अध्यक्ष
 २. संयुक्त सचिव (एआरआई), सूलमउम : सदस्य
 ३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सदस्य
 ४. श्री राजेन्द्र प्रताप गुप्ता, विशेषज्ञ सदस्य (विपणन), खाग्राआ : सदस्य
 ५. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सदस्य
 ६. बाहरी विशेषज्ञ सदस्य (विषय संबन्धित): सदस्य
 ७. उप मु. का. अ (प्रशासन एवं मानव संसाधन): सदस्य संयोजक
- ७) आयोग ने केआरडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत नई खादी संस्थाओं पर विचार करने हेतु संशोधित चयन मानदंड पर दिनांक १९.१२.२०१६ को जारी परिपत्र की शर्तों में छूट देने संबंधी सुधार कार्यान्वयन प्रभाग निदेशालय के प्रस्ताव पर इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गयी कि केआरडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत जिन ४०० खादी संस्थाओं का सुधार किए जाने का लक्ष्य था, उनमें से अभी तक केवल 235 खादी संस्थाओं को ही सीधी सुधार सहायता जारी की गयी है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है, आयोग ने केआरडीपी के अंतर्गत खादी संस्थाओं के चयन मानदंड की शर्तों में छूट को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया:-
 - जिन नवीन पंजीकृत खादी संस्थाएं ने अपर्याप्त बैंक वित्त लिया है उन्हें केआरडीपी के अंतर्गत सीधी सुधार सहायता देने पर विचार किया जाएगा।
 - नवीन पंजीकृत खादी संस्थाओं को वर्गीकरण से छूट होगी।
 - केआरडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत खादी संस्थाओं का उत्पादन टर्न ओवर का औसत पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम 25.00 लाख रुपए प्रति वर्ष होना चाहिए।
 - वर्तमान खादी संस्थाओं के पुनः वर्गीकरण के लिए मापदंड की समीक्षा किए जाने की जरूरत है जिससे कि उन्हें केआरडीपी कार्यक्रम के अधीन सहायता के लिए

पात्र बनाया जाए।

- डीआरए के लिए पात्र संस्था हेतु पंजीकृत कारीगरों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए।

8) आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए खादी संस्थाओं के लक्ष्यांक निर्धारित करने हेतु परिपत्र संख्या बीजीटी/बजट दिशा निर्देश 2017-18 दिनांक 16.01.2017 के माध्यम से जारी बजट दिशा-निर्देश के संबंध में सदस्य (मध्य अंचल) की टिप्पणी पर विचार किया, जिसमें परिपत्र के पैरा संख्या 6 में यह उल्लेख है कि खादी संस्थाओं को संबन्धित वित्तीय वर्ष के लिए राज्य/मंडलीय निदेशक पहले बजट आबंटन जारी करेंगे एवं बाद में सूचना हेतु आंचलिक समिति के साथ बजट आबंटन प्रस्तुत करेंगे।

इस संबंध में सदस्य (मध्य अंचल) ने बताया कि एक बार बजट आबंटन को अंतिम रूप दे दिया जाता है एवं राज्य/आंचलिक निदेशक द्वारा उसकी सूचना दे दी जाती है तो फिर उसे आंचलिक समिति के समक्ष रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खादी संस्थाओं को पहले ही आबंटन की सूचना दे देने के पश्चात राज्य/मंडलीय निदेशकों को आंचलिक समिति द्वारा बताए गए संशोधन एवं सुधार को कार्यान्वित करने में परेशानी होगी।

विस्तृत चर्चा के बाद आयोग ने निर्णय लिया कि आंचलिक समिति के अनुमोदन के बाद ही राज्य/मंडलीय निदेशकों द्वारा बजट आबंटन किया जाएगा।

तदनुसार, संदर्भित परिपत्र के पैरा 6 में संशोधन किया गया है और अब इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:-

- “राज्य/मंडलीय निदेशक लक्ष्यांक निर्धारित करने संबंधी बजट कार्य २८ फरवरी, 2017 तक पूरा करेंगे। सीधी सहायता प्राप्त संस्थाओं और राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडलों से सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए पृथक रूप से खादी के लिए समेकित विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 में और ग्रामोद्योग के लिए प्रपत्र-II में भरकर आंचलिक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु इसे आंचलिक कार्यालयों को 15 मार्च 2017 तक अग्रेषित करना

होगा। केवल आंचलिक समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही, राज्य/मंडलीय निदेशक सीधी सहायता प्राप्त संस्थाओं और राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडलों से सहायता प्राप्त संस्थाओं के पक्ष में बजट आबंटन जारी करेंगे। आंचलिक समिति गठित न होने की स्थिति में बजट आबंटन आंचलिक उप मु.का.अ के अनुमोदन से जारी किया जा सकता है। इसके बाद समेकित विवरण संबन्धित कार्यक्रम निदेशक को अग्रेषित करने हेतु केंद्रीय कार्यालय को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक भेजा जाएगा”

९) आयोग ने वित्तीय सलाहकार/मु.का.अ, खा.ग्रा.आ की टिप्पणी को नोट किया कि आगे से गुणवत्ता, प्रामाणिकता, पैकिंग, लेबल लगाने, स्वच्छता आदि के लिए खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के मूल्यांकन सहित विभागीय बिक्री केन्द्रों से संबन्धित सभी मुख्य विपणन मुद्दों तथा विपणन रणनीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) का पूरी तरह मार्ग-दर्शन लिया जाएगा।

१०) आयोग ने अधिकतम संख्या में खादी संस्थाओं वाले उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में एक मण्डल कार्यालय खोलने की सदस्य (दक्षिण कर्नाटक) की टिप्पणियों को नोट किया।

क) आगे, आयोग ने संयुक्त सचिव (एआरआई) की टिप्पणियों को नोट किया कि मण्डल कार्यालयों को खोलने हेतु एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है और इस प्रकार के कार्यालयों को खोलने के लिए मानदंडों के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए, क्योंकि मण्डल कार्यालयों को खोलने के लिए देश भर से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

ख) अतः आयोग ने विस्तृत प्रस्ताव पूरे औचित्य के साथ विचार हेतु आयोग के समक्ष रखने का निर्णय लिया।

११) रांची में आदिवासी कल्याण उप योजना की कार्यशाला:

१. आयोग ने उप मु.का.अ (आयोग प्रकोष्ठ) की टिप्पणियों को नोट किया और रांची में दिनांक 20 और 21 फरवरी को आदिवासी कल्याण उप योजना की

कार्यशाला आयोजित करने पर स्वीकृति प्रदान की।

२. आयोग ने सदस्य सचिव (ग्रामीण विकास) के सुझाव को भी नोट किया कि उक्त कार्यशाला के प्रभावशाली आयोजन के लिए कार्यशाला के लिए रखी गयी 5.20 लाख रुपए की राशि अपर्याप्त है एवं इसलिए आयोग ने और अधिक राशि जारी करने की सिफारिश की। आवश्यकता का मूल्यांकन आई.एफ.डी द्वारा किया जा सकता है एवं आवश्यक राशि को पीएमईजीपी, ग्रामोद्योग समन्वय, क्षमता निर्माण एवं प्रचार निदेशालयों से लिया जा सकता है।

३. जैसा कि संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया था, आयोग ने जन जाति कल्याण मंत्रालय एवं जनजाति विकास निगम, ट्राईफेड एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति वित्तीय विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) को जन जातियों के कल्याण हेतु इस प्रकार की कार्यशालाओं में सहभागिता हेतु शामिल करने का निर्णय लिया है।

बैठक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ समाप्त हुई एवं आयोग और स्थायी वित्त समिति की अगली बैठक 27 एवं 28 फरवरी 2017 को प्रातः 11.00 बजे अहमदाबाद में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

1. खादी संस्थाओं की लेखा परीक्षा:

१. आयोग ने संयुक्त सचिव की टिप्पणियों को नोट किया कि हाल ही में हुए राज्य निदेशक सम्मेलन, मुंबई में निदेशक (लेखा परीक्षा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई का संस्थागत लेखा परीक्षा करने हेतु लेखा परीक्षा स्टाफ को भेजने संबंधी मामले पर चर्चा की गयी, जहां यह पाया गया कि संस्थाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए निदेशक (लेखा परीक्षा) राज्य कार्यालयों के कर्मचारियों को सीधे ही भेज रहे थे, जिस कारण राज्य कार्यालय स्तर पर काम बधित हो रहा था। आगे, यह भी देखा गया कि लेखा परीक्षा दल कई सप्ताहों तक संस्थाओं में रुके रहते थे, जिस कारण राज्य कार्यालयों को अत्यधिक यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता का भार उठाना

पड़ता था।

२. अतः आयोग ने मु.का.अ/वि.स की टिप्पणी पर सहमति व्यक्त कि लेखा परीक्षा दल की प्रतिनियुक्ति (१) अंचल से ही की जाएगी और (२) सीमित और निर्धारित अवधि के लिए की जाएगी, जिसमें वे अपने लेखा परीक्षा कार्य को पूरा करेंगे और राज्य कार्यालय के मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे।
३. आयोग ने विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) की टिप्पणियों को भी नोट किया कि राज्य/मंडलीय कार्यालयों सहित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी कार्यालयों को दिसंबर, 2017 से पूर्व आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।



खादी से देश विकास

खिला है संस्कृति का उपवन अब,
बन रहा नया इतिहास।

खादी ग्रामोद्योग में भी,
नया रंग अब आया है।
चरखा कात रहे मोदी जी,
जनता को मार्ग दिखाया है।

कई बार मन की बातों में,
जन-जन को समझाया है।

चेयरमेन खखोना जी ने,
करके काम दिखाया है।

मैडम अंशु सिन्हा आदि ने,
भी तनमन से किया प्रयास।

बिक्री बढ़ी, हो रहा जनता,
के हृदय में हर्षोल्लास।

खदेशी को अपनाओं भाईयों,
देश की शान बढ़ानी है।

सादा जीवन उच्च विचार यह,
ऋषि मुनियों की वाणी है।

अनेक जातियाँ, अनेक धर्म
अलग-अलग निशानी है।

पर हम सारे एक माँ के
बेटे हिन्दुस्तानी है।

जगत सिंह हुड्डा की तो,
भाईयों यही है अरदास।

रहो प्रेम से सब मिलजुल के,
देश अपने का करो विकास।

(श्री जगत सिंह, कार्यकारी, के.वी.आई.सी., अम्बाला)
लेखक हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित है।

लोकसत्ता

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड से प्रकाशित

सत्य के संग, असत्य से जंग

नई दिल्ली, पोष शुक्ल, नवमी, विक्रमी संवत् 2073

www.epaper.loksatya.com

शनिवार, 07 जनवरी 2017

रंग लाई मेहनत देश में बढ़ गए खादी के दीवाने, खादी ग्रामोद्योग की बिक्री 9.25 प्रतिशत बढ़ी

'नोटबंदी' में भी जमकर बिकी खादी

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग देशभर में 7100 बिक्री केंद्रों से बिक्री करता है।

नई दिल्ली, लोकसत्ता

नोटबंदी के बाद शुरू दिवस में खादी एवं ग्रामोद्योग की बिक्री में सवा नौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग देशभर में 7100 बिक्री केंद्रों के माध्यम से बिक्री करता है।



विशाल भुलान के विपिन माथमो को प्रेरणा मिल गई, खाने के चलते इसमें जल्द ही सुधार हो गया।

इसके अलावा आयोग ने 2000 रुपये से ज्यादा की डिजिटल खादीदार करने पर कई तरह की छूट और उधार की भी घोषणा दी थी।

महात्मा गांधी ने सबसे पहले दिलाई खादी को पहचान



महात्मा गांधी ने सबसे पहले दिलाई खादी को पहचान था जिसका उद्देश्य विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था। खादी या खदर भारत में हम से अपने वाले वस्त्रों को कहते हैं। इनके लिए चने वाला सूत चरखे की सहायता से बनाया जाता है। खादी के इस्तेमाल से ही खादियत होती है कि यह हमारी में शरीर को ठंडक तथा अंदर में मरम्मत करे।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 'मम की बात' कार्यक्रम में खादी वस्त्रों को पहनने के लिए अंगीकृत कर चुके हैं। पिछले वर्ष मोदी ने अपने सफ़ाक नरेंद्र मोदी को पहनने की खादी में कहा, 'मैं हमेशा ही लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरणा प्रदान करता हूँ। आगे, इस गांधी जयंती पर खादी से बने उपहार खरीदें जिससे हमारे जुड़े

नव भारत

खादी से सालभर रोजगार की गारंटी

विलेपार्ले में खादी लाउंज का उद्घाटन



शनिवार को राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी ने विलेपार्ले में अनन्य खादी लाउंज का उद्घाटन किया।

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने केंद्र सरकार के पास केवीआईसी की रोजगार योजनाओं को मनरेगा से जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मनरेगा से केवीआईसी को जोड़ ग्रामवासियों को 100 के बजाए 365 दिनों यानि साल भर का रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है।

रोजगार के साथ लोगों की प्रतिदिन आय में भी वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत लोगों को 1 दिन के मेहनताने के रूप में 220 रुपए दिए जाते हैं। जबकि केवीआईसी के कारीगर प्रतिदिन 300 से 350 रुपए कमा लेते हैं। सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकारों की अनदेखी की वजह से लोग खादी से दूर हो गए थे। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1995-96 में देश में कुल 9 लाख चरखे थे, दो दशक के इस समय के दौरान कारीगरों की केवल 18 हजार नए चरखे उपलब्ध करवाए गए हैं। लेकिन मौजूदा सरकार ने खादी कारीगरों की आय बढ़कर खादी उद्योग में जान फूंक दी है।

मुंबई में पहला खादी लाउंज

आयोग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2 हजार करोड़ रुपए के बिक्री का लक्ष्य रखा है। जबकि पिछले वर्ष आयोग ने 1 हजार 65 करोड़ के उत्पादों की बिक्री करने में कामयाबी पाई थी। उच्च वर्ग के लोगों को खादी की तरफ आकर्षित करने के लिए केवीआईसी ने मुंबई में अपना पहला खादी लाउंज शुरू किया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने किया। इसी प्रकार उच्च स्तरीय स्टोर की शुरुआत जनवरी के अंत तक दिल्ली और जयपुर में होने वाला है। खादी लाउंज में प्रीमियम गुणवत्ता वाले स्टाइलिश खादी सिल्क और आधुनिक डिजाइन किये हुए रेडीमेड कपड़ों की बिक्री की जाएगी।

बैंकों को निर्देश

राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने कहा कि बैंकों के प्रत्येक ब्रांच से एक-एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व महिला उद्यमी सुचित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कुल 94 प्रतिशत रोजगार के अवसर सुचित कर रहा है।

लोकसत्ता

'लघु उद्योजकों' आर्थिक सक्षमते की आवश्यकता'

व्यापार प्रतिनिधि, मुंबई

देशाधी आर्थिक उन्नति साधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ८४ विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. औद्योगिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी महत्वाचे योगदान देणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योजकांना सक्षम करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी 'एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया' व 'एसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉन्सिल'च्या 'इंडिया एसएमई बिझनेस समिट' परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात केले.

चौधरी म्हणाले की, 'मेक इन इंडिया'च्या वाटचालीत लघु व मध्यम उद्योजकांचा सहभाग वाढविण्याची आवश्यकता असून यामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या गुंतवणूक, संयुक्त उद्योग, करारतत्वावरील निर्मिती, तंत्रज्ञान प्रसार अशा संधीचा लाभ मिळणार आहे. बँकांनी उद्योगांना आर्थिक सहकार्य उपलब्ध करून देणे, सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांनी लघु व मध्यम उद्योजकांकून २० टक्के उत्पादन विकत घेणे, आर्थिकारित्या डब्याइस आलेल्या करखात्यांना बँकांनी मदत करणे आणि उद्योजकांना सहकार्य करण्याची हमी सरकारने घेतली असून आपले खाते ते पूर्ण करण्यास कटीबद्ध असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.



केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को पाठाना सक्षमकक्षाना प्रधान हरिभाई चौधरी ने शनिवार विलेपार्ले में आयेवा पादी अंतर्गत विलेख कमिशन में 'पादी धड्डिया लॉन्ज' नु लोकार्पण करुं हवु

Khadi dress code for GHMC

STAFF REPORTER

HYDERABAD: In the new year, chances are that the GHMC (Greater Hyderabad Municipal Corporation) offices will closely resemble political party headquarters every Monday.

In line with the Government's push to Khadi usage in the State, Commissioner B. Janardhan Reddy has asked the officials of the civic

body to wear Khadi clothes to office on the first working day of every week. The message was sent out to the employees on Thursday.

The Commissioner had chosen Monday since meetings with the public and inspections take place on this day and the officials wearing locally made fabric would be apt. A circular in this regard is expected to be released soon.

समाचार पत्रों में प्रकाशित
खादी ग्रामोद्योग जगत की सुखिया

लोकसत्य

दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड से प्रकाशित

सत्य के संग, असत्य से जंग

नई दिल्ली, पौष शुक्ल, अष्टमी, विक्रमी संवत् 2073

www.epaper.loksatya.com

शुक्रवार, 6 जनवरी 2017

खादी इंडिया में शुरू हुई पेटीएम से बिक्री

■ दिल्ली के रीगल बिल्डिंग स्थित खादी इंडिया में पेटीएम से बिक्री के लिए अलग लांज की शुरुआत की गई है

नई दिल्ली, लोकसत्य

खादी इंडिया के शो रूम में अब खादी के वस्त्रों की खरीद का भुगतान पेटीएम से भी किया जा सकेगा। दिल्ली के रीगल बिल्डिंग स्थित खादी इंडिया में पेटीएम बिक्री के लिए अलग लांज की शुरुआत की गई है।

बृहस्पतिवार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया और बताया कि पेटीएम के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में भारी वृद्धि होगी



जिससे गरीब खादी कस्त्रियों एवं बुनकरों की आमदनी में भी बढोत्तरी होगी। पेटीएम तीन महीने तक अपनी सेवाएं मुफ्त में देगा।

सक्सेना ने बताया कि इससे केंद्र सरकार की पहलों जैसे ई-कामर्स, डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को

बढावा मिलेगा। इस सेवा के शुभारंभ के मौके पर खादी ग्रामोद्योग उत्तर क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारी सत्यनारायण, पेटीएम (मार्केटिंग प्लेस) अध्यक्ष भूपण पाटिल, उपाध्यक्ष सुमिंदर पाल सिंह व खादी इंडिया के प्रबंधक एके गर्ग भी उपस्थित रहे।

खादी इंडिया में शुरू हुई पेटीएम से बिक्री

■ दिल्ली के रीगल बिल्डिंग स्थित खादी इंडिया में पेटीएम से बिक्री के लिए अलग लांज की शुरुआत की गई है

नई दिल्ली, लोकसत्य

खादी इंडिया के शो रूम में अब खादी के वस्त्रों की खरीद का भुगतान पेटीएम से भी किया जा सकेगा। दिल्ली के रीगल बिल्डिंग स्थित खादी इंडिया में पेटीएम बिक्री के लिए अलग लांज की शुरुआत की गई है।

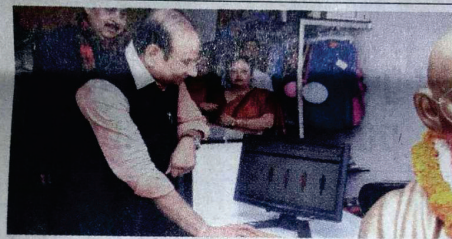
बृहस्पतिवार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया और बताया कि पेटीएम के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में भारी वृद्धि होगी



जिससे गरीब खादी कस्त्रियों एवं बुनकरों की आमदनी में भी बढोत्तरी होगी। पेटीएम तीन महीने तक अपनी सेवाएं मुफ्त में देगा। सक्सेना ने बताया कि इससे केंद्र सरकार की पहलों जैसे ई-कामर्स, डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को

बढावा मिलेगा। इस सेवा के शुभारंभ के मौके पर खादी ग्रामोद्योग उत्तर क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारी सत्यनारायण, पेटीएम (मार्केटिंग प्लेस) अध्यक्ष भूपण पाटिल, उपाध्यक्ष सुमिंदर पाल सिंह व खादी इंडिया के प्रबंधक एके गर्ग भी उपस्थित रहे।

Khadi and Village Industries Commission goes cashless



OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Khadi and Village Industries Commission coming under the ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) on Thursday announced to go cashless.

The Commission President Vinay Kumar Saxena, while inaugurating the facility, said

that from now onwards, sale of items in Khadi lounge will be made through Paytm.

The president claimed that the move to go digital will not only facilitate the consumers but will increase the sale of Khadi items. "As per the plan, Paytm will provide free services for the first three months which will attract people towards the lounge," said Saxena.

[illegible]

दौसा, टीएनआईआवाज़। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कनाडा व इटली से आए हुए दल ने दौसा खादी समिति के ग्राम शेरसिंह रजवास में बैंक के दल ने खादी के कारतकारों से रूबरू हुए जिसमें उन्होंने देखा की नोटबंदी के चलते उनका पैसा का किस तरह लेन-देन होता है परन्तु जानकारों के पर वही चिन्तक रह गए कि खाद्य समिति द्वारा सभी कारतकारों के बैंक अकाउंट व उनके द्वारा खादी समिति में किए गए कार्य का पैसा उनके पासयुक्त में जमा देखकर वह भी खादी समिति के द्वारा केश लेस कारतकारों का देखकर खाद्य समिति की धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि वास्तव में खाद्य समिति के बारे में जितना सुना था उसे कहीं आगे खाद्य समिति है बैंक के दल ने महिलाओं से रूबरू होकर उनकी आमदनी के बारे में भी पूछा तो महिलाओं ने उनके बैंक अकाउंट की पासयुक्त व समिति द्वारा किये गये कार्य का भी लेखाजोखा जिसकी अलग से डायरी में उनका द्वारा किए गए कार्य का लेखा जोखा रहता है उसे देखकर बैंक के ग्रुपचक निदेशक ने इस काम के लिए समिति की सराहना की।

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84